

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/228 /2025 , लखनऊ, दिनांक :: फरवरी 06 .2025

आ दे श

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह फरवरी, 2025 एवं माह मार्च 2025 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगलपीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05
1	पीठ-झाँसी	पीठ-झाँसी	दि० 24.02.2025 से 27.02.2025 दि० 10.03.2025 से 12.03.2025	सदस्य, पीठ- सदस्य, पीठ - सदस्य, पीठ- सदस्य, पीठ- 3 -झाँसी अयोध्या झाँसी कानपुर न्यायिक विभागीय न्यायिक विभागीय

ह/-06.02.2025

(प्रतिमा श्रीवास्तव)

एस०जे०एस०,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ झाँसी, / पीठ अयोध्या, पीठ-3, कानपुर।
- 2- कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 3- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक यात्रा भत्ता/विवरण/वेव अधिकारी कम्प्यूटर मुख्यालय/नाज़िर मुख्यालय।
- 4- सम्बन्धित सदस्य उक्त युगलपीठ गठन का संज्ञान अपने स्तर से राज्य प्रतिनिधि कार्यालयों को भी अवगत करावें।
- 5- सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

(तरुण कुमार)

निबन्धक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।